□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1118

28 □□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टीबी उन्मूलन

1118. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिदेः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिह चन्देलः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार 2025 तक भारत से क्षय रोग (टीबी) को खत्म करने को योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो टीबी उन्मूलन के लिए तैयार को गई ठोस काय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आवश्यक उपकरणों को सूची और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक अलग नीति के लिए रूपरेखा बनाने को योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जन-जन तक चिकित्सा उपकरणों को पहुंच और व्यय वहनीयता के लिए क्या उपाय किए गए ह?

□त□□

स□□स्थ □□ □ि□□□□ □ल□□ण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख): मंत्रालय ने क्षयरोग (टीबी) को वष 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखते हुए क्षय रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) तैयार को है।

मुख्य ध्यानाथ बिदु ह:

- सभी टीबी रोगियों का शीघ्र निदान, गुणवत्तापूण औषधियों के साथ तुरंत उपचार और उपचार के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए रोगी के अनुकूल सहायक प्रणालियों से युक्त उपचार रेजीमेन
- निजी क्षेत्र म स्वास्थ्य परिचया ले रहे रोगियों को देखरेख
- उच्च जोखिम वाली/ संक्रमण के प्रति संवेदनशील आबादी म सक्रिय मामलों का पता लगाना और संपक म आए व्यक्तियों पर नजर रखना आदि निवारक रणनीतियां
- हवा से फैलने वाले संक्रमण पर नियंत्रण
- संक्रमण के सामाजिक कारकों के समाधान के लिए बहुआयामी अनुक्रिया

(ग) से (ङ): सरकार ने देश म अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों को नैदानिक जांच, विनिमाण, आयात, विक्रय और वितरण को विनियमित करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 को 31.01.2017 को अधिसूचित किया है। ये नियम 01.01.2018 से प्रभावी हो गए ह। इन नए नियमों म रोगी देखभाल और सुरक्षा के लिए बेहतर चिकित्सा उपकरणों को उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मेक-इन-इंडिया को विनियामक बाधाओं को दूर करने और व्यवसाय करना सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इन नियमों म आगे, भारत के संदभ म विशिष्ट नवप्रवतनशीलता को बढ़ावा देने के लिए और भारत म विनिमाण करने के लिए तुलनात्मक लागत का लाभ प्रदान करते हुए वैश्विक स्तर पर चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच और इनको वहनीयता म सुधार लाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

****